भूदेव शर्मा

बनाम

जिला न्यायाधीश, बुलंदशहर और अन्य

31 अक्टूबर, 2007

[ए. के. माथुर और मार्कंडेय काटजू, जे. जे.]

सेवा कानून - आरक्षण-शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए -चयन-तृतीय श्रेणी के पदों के लिए-2 प्रतिशत पद शारीरिक रूप से विकलांग के लिए आरक्षित-एकल शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति ने आवेदन किया और भर्ती नियुक्ति परीक्षा में उपस्थित हुआ-नियुक्ति से इंकार किया गया – आदेश - आवेदक के एकमात्र उम्मीदवार होने के कारण वह आरक्षित पद पर नियुक्त होने का हकदार था ।

बुलंदशहर यू. पी. में न्यायाधीश तृतीय श्रेणी के 30 पदों के लिए विज्ञापन दिया गया था। अपीलार्थी (एक नेत्रहीन व्यक्ति) भर्ती नियुक्ति परीक्षा में उपस्थित हुआ, लेकिन चुना नहीं गया। उन्होंने रिट याचिका दायर की। उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने उनकी नियुक्ति का निर्देश दिया, लेकिन उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने इसे रद्द कर दिया। इसलिए वर्तमान अपील।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने निर्णित किया :

जी. ओ. दिनांक 26.08.1993 द्वारा यू. पी. सरकार ने सरकारी सेवाओं के सभी समूहों में भर्ती हेतू शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए 2 प्रतिशत पद आरक्षित किये थे। शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति वे हैं जो अंधे, बहरे और गूंगे हैं या अन्यथा विकलांग हैं। कुल मिलाकर 30 पदों के लिए चयन किया गया। 30 पदों का 2 प्रतिशत 0.6 है। चूँकि 0.6 आधे से अधिक है इसे पूरा (round off) कर दिया जाता है और माना जाता है कि 30 पदों में से एक पद शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित है। क्योंकि किसी अन्य शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति ने आवेदन नहीं किया था, अपीलार्थी शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित पद का हकदार था। इस न्यायालय के अंतरिम आदेश को देखते हुए अपीलार्थी पहले से ही इस पद पर काम कर रहा है। इसलिए उसे नियमित किया जाए। [पैरा 3 और 5]

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 6168 of 2001.

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की 2001 की विशेष अपील संख्या 445 के अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 23.5.2001 से।

अपीलार्थी के लिए गौरव जैन और आभा जैन।

प्रत्यर्थी की ओर से अशोक के. श्रीवास्तव।

न्यायालय का निर्णय **मार्कंडेय काटजू, जे.** द्वारा दिया गया।

1.इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 2001 की विशेष अपील सं. 445 में

पारित विवादित निर्णय दिनांक 23.05.2001 के यह खिलाफ याचिका दायर की गई है। । पक्षकारों की विद्वान अधिवक्ताओ को सुना गया और अभिलेख का अवलोकन किया।

2.अपीलार्थी एक नेत्रहीन व्यक्ति है। वे वर्ष 1992 में बुलंदशहर यू. पी. में न्यायाधीश तृतीय श्रेणी के पदों के लिए उम्मीदवारों के चयन के लिए आयोजित भर्ती परीक्षा में उपस्थित हुए थे। लेकिन उनका चयन नहीं किया गया था और इसलिए उन्होंने एक रिट याचिका दायर की जिसे विद्वान एकल न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 25.09.1997 के निर्णय द्वारा अनुमति दी गई थी । उस फैसले के खिलाफ में राज्य सरकार ने एक लेटर पेटेंट अपील दायर की थी जिसे खंड पीठ द्वारा विवादित फैसले में अनुमति दी गई है। इसलिए यह अपील।

3. अपीलार्थी ने जी. ओ. दिनांकित 26.08.1993 पर भरोसा किया है जो इस अपील का अनुलग्नक पी-। है । उस जी. ओ. का कहना है कि यू. पी. सरकार ने सरकारी सेवाओं के सभी समूहों में भर्ती हेतू शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए 2 प्रतिशत पद आरक्षित किये है। शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति वे हैं जो अंधे, बहरे और गूंगे हैं या अन्यथा विकलांग हैं। कुल मिलाकर 30 पद थे जिनके लिए चयन किया गया। 30 पदों का 2 प्रतिशत 0.6 है। चूँकि 0.6 आधे से अधिक है, हम इसे पूरा करते हैं और मानते हैं कि 30 पदों में से एक पद शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित है। क्योंकि किसी अन्य शारीरिक रूप से

विकलांग व्यक्ति ने आवेदन नहीं किया था, हमारी राय में,अपीलार्थी शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित पद का हकदार था।

4. मामले के इस दृष्टिकोण में, अपील की अनुमति दी जाती है, खंड पीठ के आक्षेपित निर्णय को अपास्त किया जाता है और यह निर्देश दिया जाता है कि अपीलार्थी को बुलंदशहर यू. पी. में न्यायाधीश तृतीय श्रेणी के पद पर नियुक्ति किया जाए।

5. हमें यह सूचित किया गया है कि इस न्यायालय का अंतरिम आदेश की रोशनी में अपीलार्थी पहले से ही इस पद पर काम कर रहा है । इसलिए उसे नियमित किया जाए और एक नियमित श्रेणी-III कर्मचारी के रूप में काम करना जारी रखने की अनुमति दी जाकर उसे सभी परिणामी लाभ प्रदान किये जायें ।

अपील की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी ईशा सांगी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।